FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बाबूलाल वगै0 बनाम मुरली वगै0

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

नवीन वाद मुकदमा नं0 78/2018 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

06.2018

वादीगण बाबूलाल, रामस्वरूप पुत्रगण भागीरथ, कमला, सन्तोष, मन्जू, सुमन पुत्रियॉ भागीरथ व प्रहलाद पुत्र महादेव समस्त जाति अहीर निवासी ढ़ाणी अहीरान् तन् ग्राम प्रीथमपुरी तहसील नीमकाथाना ने उपस्थित होकर आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– करड़का के अटल सेवा केन्द्र में नवीन वाद पत्र बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादपत्र में दर्ज समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2, 4 ता 17 ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया। दौराने शिविर उपस्थित वादीगण की पहचान श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण पक्षकारान् की पहचान श्री श्रवण कुमार यादव एडवोकेट ने की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 की ओर से श्री श्रवण कुमार यादव एडवोकेट ने इकबाली जवाब दावे पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी नम्बर 18 की ओर से उपस्थित उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने भूमिधारी तहसीलदार के औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 58, 88, 94 कुल किता 3 कुल रकबा 7.84 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम करड़का में स्थित है। जिसके 1/12 हिस्से की खातेदारी महादेव पिता नारायण के नाम व 1/6 हिस्से की खातेदारी बालूराम पुत्र गणेशराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 1 से 10, 12, 54 कुल किता 12 कुल रकबा 6.33 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसके 1/9 हिस्से की खातेदारी मुरली पिता रामनारायण व 1/9 हिस्से की

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

बाबूलाल वगै0 बनाम् मुरली वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0– 78 /2018

खातेदारी माधा पिता रामनारायण व 1/9 हिस्से की खातेदारी शंकर पिता रामनारायण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान् की पारिवारिक भूमियॉ तन् ग्राम करड़का तहसील श्रीमाधोपुर व तन् ग्राम प्रितमपुरी तहसील नीमकाथाना में स्थित है जिसके लिए एक दावा बाबत बंटवारा एंव उद्घोषणा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहॉ वाद संख्या 15/1992 बउनवानी बालूराम वगै0 बनाम् भागीरथ वगै0 पेश किया गया था जो दिनांक 17.1.1994 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर अन्तिम डिक्री दिनांक 31.7.1994 को जारी की गई थी। उक्त डिक्री व निर्णय अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में बालूराम पुत्र गणेशराम का हिस्सा 1/6 व महादेव पुत्र नारायण हिस्सा 1/12 उक्त दोनों हिस्से अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा का आधा हिस्सा अर्थात् 1/8 हिस्सा वादी संख्या 1 ता 6 के एंव 1/8 हिस्सा वादी संख्या 7 के हक हिस्से एंव बंटवारें में आया हुआ है। वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि मुरली पिता रामनारायण के नाम हिस्सा 1/9 तथा माधा पुत्र रामनारायण 1/9 व शंकर पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/9 कुल 1/3 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्सा वादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्से व बंटवारे में व 1/6 हिस्सा वादी संख्या 7 के हक हिस्से एंव बंटवारें में आया हुआ है। इसी अनुसार पक्षकारान् मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पिता भोले भाले व्यक्ति थें जिन्होनें पूर्व वाद की डिक्री एंव निर्णय अनुसार खातेदारी दर्ज होने हेतु पूर्णतया आश्वस्त रहे। उन्होनें खातेदारी दर्ज होने बाबत कोई जॉच पड़ताल खोजबीन नहीं की। वादी संख्या 1, 2 व 7 अपनी नौकरी व मजदूरी के सिलसिले में गॉव में नहीं रहकर ज्यादातर समय गॉव से बाहर ही रहे है। जिसके कारण खातेदारी पूर्ववत रहने बाबत कोई जानकारी नहीं हो सकी। जुलाई 2016 में पटवारी हल्का से ग्राम करड़का की जमाबन्दी की नकल लेने पर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर खातेदारी दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने हेतु

Scanned by CamScanner

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

बाबूलाल वगै0 बनाम् मुरली वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0– 78 /2018

प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दौराने शिविर में ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर से राजस्व रिकार्ड के पुराने व नये रिकार्ड का मिलान किया गया तथा शिविर के दौरान उपस्थित जन समूह से प्रकरण के बारे में वस्तुस्थिति की जॉच की गई। उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 18 भूमिधारी तहसीलदार के औपचारिक पक्षकार होने तथा जवाब का मोहताज नहीं होने बाबत अवगत कराया। इस पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की जॉच करने पर पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से पारित निर्णय व डिक्री की पालना में ग्राम करड़का के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। जिसके लिए प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से पूर्णरूपेण सहमत होते हुए वादीगण के पक्ष में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा भी पेश कर वादपत्र का समर्थन किया है। जो पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी साबित होता है।

वादपत्र में दर्ज समस्त पक्षकारान् एक ही कुटुम्ब परिवार से होना वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि उक्त भूमियॉ पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व मौरूसी भूमियॉ है तथा उक्त भूमियों को पक्षकारान् ने मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिस बाबत पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के द्वारा मुकदमा नम्बर 15/1992 बउनवानी बालूराम वगै0 बनाम भागीरथ वगै0 में बंटवारा की प्रारम्भिक डिक्री पारित कर प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्तावों पर अन्तिम डिक्री दिनांक 31.07.1994 को पारित की गई है। जिसके अनुसार खातेदारी अपने–अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रकरण में पक्षकारान् ने राजीनामा भी पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा बरूये राजीनामा ही प्रकरण का निस्तारण राजस्व

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

बाबूलाल वगै0 बनाम् मुरली वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0– 78 /2018

लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से चाहने हेतु वादपत्र वादीगण पक्षकारान् के द्वारा पेश किया गया है। जिस पर समस्त पक्षकारान् ने अपनी–अपनी सहमती व्यक्त किया जाना स्पष्ट प्रकट होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में वादी बाबूलाल पुत्र भागीरथ का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् पर दौराने शिविर ही प्रदर्श भी अंकित किये गये। जो प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 नकल प्रमाणित प्रतिलिपि दावा संख्या 15/92 बालूराम बनाम् भागीरथ वगै0, प्रदर्श–5 वादी बालूराम के बयान, प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 17.01.94, प्रदर्श–7 प्रारम्भिक डिक्री, प्रदर्श–8 अन्तिम डिक्री, प्रदर्श–9 प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट, प्रदर्श–10 राजीनामा शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में समस्त पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में मौके पर ही न्याय हित में लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझती हूँ।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 14.06.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से व बंटवारें में आयी हुई भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। इसी भॉति पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

बाबूलाल वगै0 बनाम् मुरली वगै0
दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
नवीन वाद मुकदमा नं0– 78 /2018

यह निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र– करड़का के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(मीनाक्षी मीणा)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–करड़का

Scanned by CamScanner